फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 12 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में दिसम्बर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ दिसम्बर, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह/-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीयकार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत रकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का दिसम्बर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर संसद के दोनों सदनों और दूसरी ओर सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है।

संसद का शीतकालीन सत्र, 2021, जो सोमवार, 29 नवंबर, 2021 से आरंभ हुआ था, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। सत्र के दौरान 34 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें हुई।

सत्र मूल रूप से 19 बैठकें करने के लिए 29 नवंबर, 2021 से 23 दिसम्बर, 2021 तक निर्धारित था परंतु अत्यावश्यक सरकारी कार्य पूरा हो जाने के कारण इसे एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया।

माननीय राष्ट्रपति द्वारा 17वीं लोक सभा के 7वें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र का 24 दिसंबर, 2021 को अवसान किया गया।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का विरोध किए जाने या संबंधित सदस्यों से विधेयक/संकल्प वापस लेने का अनुरोध करने/मनाने, ऐसा न करने पर उनका विरोध करने/समर्थन नहीं करने के संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदित सरकारी निर्णयों का कैबिनेट नोट संख्या 09/2021 के माध्यम मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने भी अनुसमर्थन किया।

तीन अध्यादेशों अर्थात् केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का 9), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 10) और स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का 8) जिन्हें शीतकालीन सत्र, 2021 से पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था, की जगह लेने वाले तीन विधेयकों पर सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।

विधायी कार्य का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

2. <u>संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन</u>

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से नवम्बर, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 97014 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 57077 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1219 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 565 आश्वासन लंबित हैं।

दिसम्बर, 2021 मास के दौरान, 30 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 25 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

दिसम्बर, 2021 के दौरान 609 कार्यान्वयन प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर और 281 (9 आंशिक) कार्यान्वयन प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे गए।

3. लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

दिसम्बर, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 दिसम्बर को लंबित मामले	117	156
माह के दौरान उठाए गए मामले	366	62
दिसम्बर माह के दौरान प्राप्त उत्तर	18	5
शेष मामले	465	213

4. परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

दिसम्बर, 2021 के दौरान -

(क) परामर्शदात्री समितियों की 13 बैठकें आयोजित की गईं।

(ख) संसद के दो सदस्यों का नाम उनकी मृत्यु/इस्तीफा/सेवानिवृत्ति के कारण परामर्शदात्री समितियों से हटाया गया।

उपरेक्त से संबंधित विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

5. डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

दिसम्बर, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 2622 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

6. **<u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>**

दिसम्बर, 2021 मास के दौरान

(क) राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 1850 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 600 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

7. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) : एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एकसमान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

दिसम्बर, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 18 राज्यों (20 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (दोनों सदन), झारखंड और मिजोरम शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 13 राज्यों (15 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और हरियाणा शामिल हैं जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

दिसम्बर, 2021 मास के दौरान-

I) बिहार विधान सभा के लिए सीपीएमयू, नेवा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय (7-8 दिसंबर 2021) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नेवा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बिहार विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न नेवा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक अनुभव भी कराया गया।

II) सीपीएमयू, नेवा द्वारा नागालैंड विधानसभा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो दिवसीय (9-10 दिसंबर 2021) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नागालैंड विधानसभा के अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर और इसके विभिन्न मॉड्यूल के बारे में बुनियादी प्रशिक्षण और जानकारी दी गई। उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।

III) 3 राज्यों - मेघालय, हरियाणा और त्रिपुरा में नेवा को लागू करने के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उनकी डीपीआर को मंजूरी दी गई।

४. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है।संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1826 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 8594 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 40874 हो गई है।

*****

अनुबंध-I

सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र के दौरान निष्पादित विधायी कार्य (दिसंबर, 2021)

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
3. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
4. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
5. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
6. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
7. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021
8. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
9. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
10. बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

II. राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया विधेयक

1. मध्यकता विधेयक, 2021

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020
2. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
3. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
5. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
6. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
7. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
8. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक

1. बांध संरक्षा विधेयक, 2019
2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021
3. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020
4. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
5. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
6. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
7. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
8. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
9. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
10. *विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. बांध संरक्षा विधेयक, 2021
2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021
3. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021
4. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
5. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021

6. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
7. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
8. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
9. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
10. *विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021

*पारित किया हुआ माना गया।

****

अनुबंध-II

दिसम्बर, 2021 के दौरान आयोजित विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	गुरूवार, 7 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	नागर विमानन	उड़ान प्रशिक्षण संस्थान	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
2	बुधवार, 8 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 9 बजे	स्वस्थ एवम् परिवार कल्याण	खाद्य विनियम	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
3	शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे	विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा सुधार	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
4	सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	पीएमएमएसवाई और अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन का विकास	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
5	मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.00 बजे	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना	मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध, नई दिल्ली
6	सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 को सायं 6.00 बजे	महिला और बाल विकास	सी.ए.आर.ए.	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली **रद्द**
7	सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 को सांय 6.30 बजे	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	राष्ट्रीय व्योश्री योजना	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
8	मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को सांय 6.30 बजे	आवासन और शहरी कार्य	स्मार्ट सिटीज मिशन	समिति कक्ष "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली
9	मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	इस्पात	भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
10	मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को सांय 6.15 बजे	भारी उद्योग	इ-मोबिलिटी	समिति कक्ष 'डी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
11	मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को अपराह्न 6.30 बजे	गृह	"साइबर अपराध के खतरे, चुनौतियां और प्रतिक्रिया"	समिति कक्ष सं 2 (प्रथम तल), ए-ब्लाक, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली
12	बुधवार, 22 दिसम्बर,	श्रम और रोजगार	ई-श्रम पोर्टल और सामाजिक	समिति कक्ष 'बी'

	2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे		सुरक्षा संहिता	संसदीय सौध, नई दिल्ली
13	बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे	जल शक्ति	स्वच्छ भारत मिशन 2.0	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली **स्थगित**
14	बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.00 बजे	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित (या समन्वित) आजीविका योजनाएँ	समिति कक्ष '139' (प्रथम तल) संसदीय सौध, नई दिल्ली
15	बृहस्पतिवार, 23 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
16	बृहस्पतिवार, 23 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	सूचना और प्रसारण	प्रसार भारती द्वारा अभिलेखीय सामग्री का मुद्रीकरण	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली **स्थगित**

संसद सदस्य जिन्हें दिसंबर, 2021 के महीने के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाया गया

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित थे	कारण
1	श्री एन. गोकुलाकृष्णन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	06.10.2021 को सेवानिवृत्त
2	डॉ बंदा प्रकाश, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	04.12.2021 को सेवानिवृत्त